

न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क्रमांक :- 162 / 2016)

(संस्थित दिनांक :- 05 / 04 / 2016)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ

जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन ।

// विरुद्ध //

01. अशोक जाटव पुत्र मोहरमन जाटव, उम्र 41 वर्ष ।
 02. सुनीता जाटव पत्नी अशोक जाटव उम्र 37 वर्ष ।
 03. धासू जाटव पुत्र अशोक जाटव उम्र 20 वर्ष ।
- निवासीगण : ग्राम पखोजिया कॉलौनी, थाना—मौ, जिला—भिण्ड, (म.प्र.) ।
- अभियुक्तगण ।

// निर्णय //

(आज दिनांक : 22 / 09 / 2017 को घोषित)

01. आरोपीगण अशोक, सुनीता एवं धासू पर धारा 294, 323 / 34 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक :- 23 / 03 / 2016 को सुबह लगभग 10:00 बजे फरियादी मीनाबाई का खेत स्थित ग्राम पखोजिया कॉलौनी में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी मीनाबाई को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी मीनाबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में फरियादी लाठी-डण्डों से पटककर मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी मीनाबाई को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया ।
02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है ।
03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 23 / 03 / 2016 को सुबह लगभग 10:00 बजे फरियादी मीनाबाई का खेत स्थित ग्राम पखोजिया कॉलौनी में, आरोपीगण द्वारा फरियादी मीना बाई से गाली-गलौच करने, उसकी लाठी-डण्डों से मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी मीना बाई द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 59 / 2016 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग II सहपठित धारा 34 भा.द.सं.

पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। फरियादी/आहत का मेडीकल परीक्षण कराया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपीगण धासू एवं अशोक से एक-एक बांस की लाठी जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। फरियादी मीना देवी, साक्षी सत्य नारायण एवं मनोज के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण अशोक, सुनीता एवं धासू के विरुद्ध धारा 294, 323/34 एवं 506 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फसाया जाना व्यक्त किया है एवं प्रतिरक्षा साक्षी/आरोपी अशोक प्रति.सा.01 की प्रतिरक्षा साक्ष्य अंकित की गई है।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपीगण ने दिनांक :- 23/03/2016 को सुबह लगभग 10:00 बजे फरियादी मीनाबाई का खेत स्थित ग्राम पखोजिया कॉलोनी में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी मीनाबाई को मौं-बहन की अश्लील गालियों देकर क्षोभ कारित किया?

02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी मीनाबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में फरियादी लाठी-डण्डों से पटककर मारपीट कर उसे स्वेच्छ्यों उपहतियों कारित की?

03. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी मीना बाई को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया?

04. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 लगायत 03

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी मीना अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण को जानती है, आरोपीगण उसके परिवार के हैं। साक्षी आगे कहती है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 26/10/2016 से 07 महीने पहले की होकर सुबह 10:00 बजे की है। वह अपने खेत पर कण्डा थाप रही थी, उसके खेत में सुनेआ (सेउंआ) की फसल लगी थी। आरोपी धासू अपनी बकरियाँ एवं भैंसे उसके खेत में चराने लगा और उसने खेत में पशुओं को चराने से मना किया तो आरोपी धासू ने उसे मादरचोद, बहनचोद एवं कुत्तियाँ आदि की गाली दी और बोला कि मैं तो खेत में ऐसी ही फसल चराऊंगा, तू कौन होती रोकने वाली। साक्षी आगे कहती है कि उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी धासू दौड़कर लाठी मारी, जो सिर में लगी खून निकल आया। उसके बाद उसके पिता अर्थात् आरोपी के पिता जी बगल में थे, उन्होंने एक सिर में लाठी मारी, खून निकल आया। उसके बाद धासू की माँ सुनीता आ गई थी, जिसने उसके बाल पकड़कर पटक दिया था और लात-घूसों से मारपीट की। फिर वह अकेली होने से रोई एवं चिल्लाई तो दूसरे खेत पर काम कर रहे पति आ गये थे और उसका भाई मनोज आ गया था, जिसने बीच-बचाव कराया था। साक्षी आगे कहती है कि उसने घटना की रिपोर्ट थाना मौ में की थी, जो प्र.पी.02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहती है कि घटना के बाद खेत में ही आरोपीगण ने मारपीट करने के बाद उससे कहा था कि आज तो बच गई आइंदा जान से खत्म कर देंगे और यह भी कहा था कि यदि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे।

09. फरियादी मीना अ.सा.02 द्वारा उसके मुख्य परीक्षण में केवल आरोपी धासू द्वारा माँ-बहिन की गालियाँ दिये जाने का उल्लेख किया है, ना कि आरोपीगण अशोक एवं सुनीता द्वारा भी गालियाँ दिये जाने का। इस वावत् मीना अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है और इस तथ्य की पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 के तथ्यों से भी हो रही है।

10. फरियादी मीना अ.सा.02 ने उसके मुख्य परीक्षण में यह दर्शित किया है कि घटना के बाद खेत में ही आरोपीगण ने मारपीट करने के बाद उससे कहा था कि आज तो बच गई आइंदा जान से खत्म कर देंगे और यह भी कहा था कि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। आरोपीगण द्वारा दी गई उक्त धमकी के बाद भी फरियादी मीना अ.सा.02 ने घटना के मात्र साढ़े तीन घण्टे पश्चात् घटना की रिपोर्ट थाना मौ पर की है, जिससे यह दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा दी गई उक्त धमकी से फरियादी मीना को अभिन्नस्त एवं संतप्त नहीं हुई थी।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में फरियादी मीना अ.सा.02 का कहना है कि घटना के समय फाल्गुन माह था और वह कण्डे थापने के लिए खेत पर दस बजे गई थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में मीना अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपीगण की कोई बकरियाँ उसके खेत में नहीं आई थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 09 में फरियादी मीना अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पंचायत चुनाव में आरोपी सुनीता ने उसके पक्ष में सरपंची का फॉर्म वापस ले लिया था और इस वावत् उसका एवं सुनीता का लेन-देन तय हो गया था, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी सुनीता एवं अशोक द्वारा सरपंची के चुनाव के उक्त लेन-देन की मांग की थी, जो पूरी नहीं की गई और इसी रंजिश के कारण फरियादी मीना एवं उसके पति ने आरोपीगण के विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। इस प्रकार आरोपित घटना के समय आरोपी धासू एवं अशोक द्वारा आहत मीना के सिर में लाठी मारकर चोट कारित करने एवं आरोपी सुनीता द्वारा मीना को चुटियाँ पकड़कर पटककर उपहति कारित करने के संबंध में फरियादी मीना अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी तात्विक रूप से अखण्डित रहा है, जिसकी सारतः पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 के तथ्यों से भी हो रही है।

12. अभियोजन साक्षी डॉ.राहुल भदौरिया अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 23/03/2016 को सीएचसी मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मौ के आरक्षक क्रमांक 791 सुभाष चौहान द्वारा लाये जाने पर आहत मीना पत्नी सत्यप्रकाश जाटव, उम्र 36 साल, निवासी :- पखोजिया कॉलौनी का चिकित्सीय परीक्षण करने पर आहत के सिर पर पीछे की तरफ एक फटा हुआ घाव था, जिसके कोने असामान्य थे, खून एवं द्रव्य मौजूद था, जिसका आकार 03 गुणा 01 गुणा 0.5 से.मी. था एवं आहत को सिर पर बाईं तरफ एक फटा हुआ घाव था, जिसका 01 गुणा 0.5 से.मी. था। साक्षी आगे कहता है कि आहत को आई उक्त चोटें सख्त एवं भौथुरी वस्तु से आना संभव होकर साधारण प्रकृति की थी। उक्त चोटें उसके मेडीकल परीक्षण से 12 घण्टे के भीतर की थी। इस वावत् उसके द्वारा दी गई मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी डॉ.राहुल भदौरिया अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य इस वावत् प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है। साक्षी डॉ.राहुल भदौरिया अ.सा.01 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसकी मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों से हो रही है। डॉ.राहुल भदौरिया अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से दिनांक : 23/03/2016 को आहत मीना अ.सा.02 के सिर में किसी सख्त एवं भौथुरी वस्तु से दो चोटें कारित होने संबंधी मीना अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की भी सारतः पुष्टि हो रही है।

13. साक्षी सत्यनारायण अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण को जानता है, आरोपीगण उसके परिवार के ही है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 26/10/2016 से 07 महीने पहले की होकर सुबह 10:00 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उसकी पत्नी खेत पर कण्डे थापने गई थी। आरोपी धासू पास में अपनी भैंसे एवं बकरियों को चरा रहा था। उसके खेत में सेऊंआ लगा, आरोपी की बकरी एवं भैंसें उसके खेत में आ गई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसकी पत्नी ने कहा कि भैंसे एवं बकरियाँ उसके खेत से हटाओं तो धासू ने बहिनचोद-मादरचोद, कुत्तियाँ आदि की गाली बकी, तो उसके बाद धासू नहीं माना और धासू ने उसकी पत्नी के सिर में लाठी मार दी, खून निकल आया। साक्षी आगे कहता है कि उसका अर्थात् धासू का पिता अशोक भी बगल खेत में आ गया था, उसने भी उसकी पत्नी के सिर में लाठी मार दी। अशोक की पत्नी सुनीता भी पास में थी और वह भी आ गई थी, उसने भी चुटियाँ पकड़कर पटक दिया और लात-घूसों से मारपीट की। साक्षी आगे कहता है कि फिर वह आ गया था। उसने एवं उसके साले ने बीच-बचाव कराया था। उसके बाद आरोपीगण ने कहा कि अगर रिपोर्ट करने गई तो जान से खत्म कर देंगे। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। पुलिस को उसने 100 नम्बर पर फोन किया था, पुलिस आ गई थी।

14. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में सत्यनारायण अ.सा.03 ने यह दर्शित किया है कि घटनास्थल पर से उसकी बच्ची उसे बुलाने पहुँची और उसकी पत्नी चिल्लाई जिसकी आवाज उसे सुनाई दी। फरियादी मीना अ.सा.02 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में भी यह दर्शित किया है कि उसने अपनी छोटी बच्ची को उस खेत पर भेजा था, जहाँ उसके पति सत्यनारायण एवं भाई मनोज काम कर रहा था और आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि मारपीट के समय उसके पति एवं भाई घटनास्थल पर नहीं आ पाये थे। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा तब उसकी पत्नी की मारपीट हो चुकी थी, जिससे यह दर्शित होता है कि यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर अनुश्रुत साक्षी मात्र है।

15. साक्षी मनोज अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 23/11/2016 से 08 माह पहले की सुबह 10:00 बजे की पखोजिया कॉलौनी की है। साक्षी आगे कहता है कि उस समय वह अपने घर से दीदी के घर आया था और उसकी दीदी कण्डा थापने एक खेत में निकल गई थी तथा उसके जीजा दूसरे खेत में निकल गये थे। वह जीजा के साथ खेत में गया था। साक्षी आगे कहता है कि धासू जाटव ने उसकी दीदी मीना जहाँ कण्डा थाप रही थी, को गालियाँ दी। उसकी दीदी ने गाली देने से मना किया तो धासू ने उसकी दीदी को लाठी मारी, जो उनके सिर में लगी, जिससे उनके सिर में खून निकल आया था।

साक्षी आगे कहता है कि आरोपी धासू जाटव ने उसकी बकरी एवं भैंसे उसकी दीदी के खेत में छोड़ दी थी, उसकी दीदी द्वारा मना करने पर धासू जाटव ने उसकी दीदी को गालियाँ दी थी। उसकी भांजी भावना दौड़कर उसके पास आई, तब तक अशोक एवं उसकी पत्नी दोनों घटनास्थल पर पहुँच गये। अशोक जाटव ने उसकी बहिन मीना को लाठी मारी, जो उसकी बहन के सिर में लगी और अशोक जाटव की पत्नी ने उसकी बहिन मीना को जमीन पर पटक दिया। फिर उसने एवं जीजा सत्यनारायण ने बीच-बचाव कराया था। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी।

16. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में आहत मीना के भाई मनोज अ.सा.04 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जिस समय घटना हुई थी, उस समय वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। स्वतः कहा कि वह एवं जीजा सत्यनारायण अ.सा.03 बाद में घटनास्थल पर पहुँच गये थे। मनोज अ.सा.04 के प्रति-परीक्षण में दर्शित उक्त तथ्यों से यह दर्शित होता है कि वह और आहत मीना का पति सत्यनारायण अ.सा.03 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर अनुश्रुत साक्षी मात्र हैं, जिनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

17. अभियोजन साक्षी पुरुषोत्तम अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 23/03/2016 को पुलिस थाना मौ में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी मीना बाई ने आकर आरोपीगण धासू, अशोक, एवं सुनीता के विरुद्ध मारपीट करने, गाली-गलौच करने एवं जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट करने पर उसके द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 59/2016 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्र.पी.02 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में पुरुषोत्तम अ.सा.05 का कहना है कि उसने फरियादी मीना को रिपोर्ट प्र.पी.02 पढ़कर सुनाई थी। इस प्रकार दिनांक : 23/03/2016 को फरियादी मीना के बताये अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 लेखबद्ध किये जाने के संबंध में पुरुषोत्तम अ.सा.05 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है और उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि फरियादी मीना अ.सा.02 द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 के तथ्यों एवं मीना अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों से भी हो रही है।

18. अभियोजन साक्षी भैयालाल सनोरिया अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 23/03/2016 को थाना मौ में एएसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मौ के अपराध क्रमांक 59/2016 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है

कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी मीना जाटव की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उक्त दिनांक को ही फरियादी मीना जाटव, साक्षी सत्यप्रकाश एवं दिनांक : 30/03/2016 को साक्षी मनोज जाटव के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिनमें अपनी ओर से कुछ घटाया - बढ़ाया नहीं था। उसके द्वारा दिनांक : 28/03/2016 को आरोपी अशोक, सुनीता एवं धासू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा क्रमशः प्र.पी.04 लगायत प्र.पी.06 बनाये थे, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी धासू एवं अशोक से एक बांस की लाठी जब्त कर जब्ती पंचनामा क्रमशः प्र.पी.07 एवं प्र.पी.08 बनाये थे, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

19. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में भैयालाल अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि साक्षीगण ने उसे कोई कथन नहीं दिये और उसने साक्षीगण के कथन थाने पर लेखबद्ध कर लिये थे। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि आरोपीगण से कोई सम्पत्ति जब्त नहीं हुई और उसने आरोपीगण को असत्य फंसाने के लिए असत्य विवेचना की है। इस प्रकार उसके द्वारा की गई विवेचना के संबंध में विवेचक भैयालाल अ.सा.06 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है और उसके उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि नक्शा-मौका प्र.पी.03, गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.04 लगायत प्र.पी.06 एवं जब्ती पंचनामा प्र.पी.07 एवं प्र.पी.08 के तथ्यों से हो रही है।

20. प्रतिरक्षा साक्षी/आरोपी अशोक प्रति.सा.01 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि वह फरियादी मीना को जानता है उसके द्वारा फरियादी मीना से कोई विवाद नहीं किया गया। साक्षी आगे कहता है कि फरियादी मीना सत्यनारायण, किरण एवं मनोज ने उसकी मारपीट की थी, जिसके संबंध में उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.01 है और उसके द्वारा मीना, सत्यनारायण एवं किरण के विरुद्ध थाना मौ में लेखबद्ध कराये गये अदम् चैक अर्थात् पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना की प्रति प्र.डी.02 है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में अशोक प्रति.सा.01 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि दिनांक : 23/03/2016 को सुबह लगभग दस बजे फरियादी मीना के खेत में उसने, सुनीता एवं धासू ने मीना, बाई को माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ दी, मिलकर मारपीट की एवं उसे जान से मारने की धमकी दी। आरोपी अशोक प्रति.सा.01 की ओर से प्रस्तुत परिवाद की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.01 एवं पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.02 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उनमें परिवेदित घटना का समय दिनांक : 23/03/2016 को 10:30 बजे का होना उल्लेखित है, जबकि हस्तगत प्रकरण

में आरोपित घटना दिनांक : 23/03/2016 के सुबह 10:00 बजे की है। जिससे यह दर्शित होता है कि उक्त परिवाद एवं पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना में उल्लेखित घटना का हस्तगत प्रकरण की घटना से कोई संबंध नहीं है। इसलिए आरोपी अशोक प्रति.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ आरोपीगण को प्रदान नहीं किया जा सकता।

21. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण अशोक, सुनीता एवं धासू ने दिनांक :- 23/03/2016 को सुबह लगभग 10:00 बजे फरियादी मीनाबाई का खेत स्थित ग्राम पखोजिया कॉलौनी में, फरियादी मीनाबाई को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं अभियोजन संदेह से परे यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण अशोक एवं सुनीता ने दिनांक :- 23/03/2016 को सुबह लगभग 10:00 बजे फरियादी मीनाबाई का खेत स्थित ग्राम पखोजिया कॉलौनी में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी मीनाबाई को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया।

22. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी धासू ने दिनांक :- 23/03/2016 को सुबह लगभग 10:00 बजे फरियादी मीनाबाई का खेत स्थित ग्राम पखोजिया कॉलौनी में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी मीनाबाई को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया और आरोपीगण धासू, अशोक एवं सुनीता ने दिनांक :- 23/03/2016 को सुबह लगभग 10:00 बजे फरियादी मीनाबाई का खेत स्थित ग्राम पखोजिया कॉलौनी में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी मीनाबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में फरियादी लाठी-डण्डों से पटककर मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की।

अंतिम निष्कर्ष

23. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपीगण अशोक, सुनीता एवं धासू के विरुद्ध धारा 506 भा.द.सं. एवं आरोपीगण अशोक एवं सुनीता के विरुद्ध धारा 294 भा.द.सं. के आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण अशोक, सुनीता एवं धासू को भा.द.सं. की धारा 506 भाग।। एवं आरोपीगण अशोक एवं सुनीता को भा.द.सं. की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

24. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी धासू के विरुद्ध धारा 294 भा.द.सं. एवं आरोपीगण धासू अशोक एवं सुनीता के विरुद्ध धारा 323/34 भा.द.सं. के आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपी धासू को भा.द.सं. की धारा 294 एवं आरोपीगण धासू अशोक एवं सुनीता को भा.द.सं. की धारा 323/34 के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है।

25. आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने पर विचार किया गया। परन्तु आरोपीगण द्वारा किये गये, कृत्य से समाज में सामुहिक रूप से मारपीट किये जाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, इसलिए आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

26. निर्णय दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण के अधिवक्ता को सुने जाने के लिए कुछ समय के लिए स्थगित किया गया।

जे.एम.एफ.सी गोहद

पुनश्च:-

27. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.पी.एस.गुर्जर को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण के अधिवक्ता श्री गुर्जर का कहना है कि आरोपीगण कम पढ़े-लिखे, गरीब एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, और यह उनका प्रथम अपराध है। जिनमें से आरोपी सुनीता महिला है। आरोपी धासू एवं अशोक उनके परिवार के एक मात्र कमाने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें न्यूनतम दण्ड अर्थादण्ड से दण्डित किया जाये। आहत मीना अ.सा.02 को कारित हुई उपहति के साधारण स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्कों से अंशतः सहमत है। फलतः आरोपी धासू को धारा 294 भा.द.सं. के आरोप के लिए 100 रुपये के अर्थादण्ड एवं आरोपीगण धासू अशोक एवं सुनीता को धारा 323/34 भा.द.सं. के आरोप के लिए 1000-1000/- रुपये अर्थादण्ड से दण्डित किया जाता है। प्रत्येक अर्थादण्ड अदा न करने पर आरोपी धासू को पृथक से पाँच-पाँच दिवस एवं आरोपीगण सुनीता एवं अशोक को अर्थादण्ड अदा ना करने पर पाँच-पाँच दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

28. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

29. प्रकरण में आरोपीगण धासू एवं अशोक से जब्तशुदा लाठियाँ मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

30. आरोपीगण द्वारा अर्थादण्ड की राशि जमा करने पर उक्त सम्पूर्ण राशि 3100/- रुपये फरियादी मीना अ.सा.02 को प्रतिकर के रूप में धारा 357 द.प्र. स. के अन्तर्गत अपील अवधि पश्चात् प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद